

अनुस्मारक/ तत्काल

सं.ई. 11017 (1) 2016-हिन्दी

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय  
(राजभाषा)

उद्योग भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 01 फरवरी, 2017

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष  
इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी उपक्रम।

विषय: लौह एवं इस्पात क्षेत्र से संबंधित विषयों पर मौलिक पुस्तकें हिन्दी में लिखने पर पुरस्कार योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का अवलोकन करें जिसके तहत इस्पात मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी की मौलिक पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही पुरस्कार योजना वर्ष 2014-2015 और 2015-16 के लिए 31 जनवरी, 2017 तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं। फिर भी इस मंत्रालय को इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत आपके नियंत्रणाधीन कार्यालयों/उपक्रमों आदि से ये प्रविष्टियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

कृपया अपने कार्मिकों के मध्य इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें तथा अपनी गृह पत्रिकाओं के माध्यम से भी इसका समुचित प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें ताकि लौह एवं इस्पात क्षेत्र से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक रचनाओं को विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी पुरस्कृत किया जा सके। इसलिए इस पुरस्कार योजना के तहत मंत्रालय में प्रविष्टियाँ प्राप्त करने की उक्त तिथि 23.02.2017 तक और बढ़ाई जाती है। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

भवदीय,

(शैलेश कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष: 23063263

सं.ई. 11017(1)2016-हिन्दी

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय  
(राजभाषा प्रभाग)


उद्योग भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 30 दिसम्बर, 2016

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: इस्पात मंत्रालय के कार्य-क्षेत्र में आने वाले विषयों पर मौलिक पुस्तकें हिंदी में लिखने पर पुरस्कार देने की योजना- पुरस्कार वर्ष 2014-2015 और 2015-16.**

इस्पात मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी की मौलिक पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत अब तक वर्ष 2013-14 तक के पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इसी अनुक्रम में अब पुरस्कार वर्ष 2014-2015 और 2015-16 के लिए 31 जनवरी, 2017 तक ये प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। इस संबंध में संक्षिप्त सूचना आदि की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है। इस योजना तथा आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट ([www.steel.nic.in](http://www.steel.nic.in)) पर भी उपलब्ध है।

2. योजना की सफलता के लिए अनुरोध है कि इस सूचना को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को व्यापक प्रचार हेतु भिजवाने की कृपा करें और इसे अपनी गृह पत्रिकाओं में भी छपवाने की व्यवस्था करें।



(शैलेश कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष: 23063263

संलग्नक: यथोपरि

प्रेषित:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।  
(सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को परिचालित करने के लिए)
3. सूचना अधिकारी, इस्पात मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय
5. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/नीति आयोग
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
7. महानिदेशक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, लोधी रोड, नई दिल्ली।
8. गार्ड फोल्डर

सं.ई. 11017(1)2016-हिन्दी

भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

(राजभाषा प्रभाग)

**विषय:** इस्पात मंत्रालय के कार्य-क्षेत्र में आने वाले विषयों पर मौलिक पुस्तकें हिंदी में लिखने पर पुरस्कार देने की योजना- पुरस्कार वर्ष 2014-2015 और 2015-16.

### सूचना प्रपत्र

इस्पात मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी की मौलिक पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर मूलतः हिंदी में लिखी गई पुस्तकों पर पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है:-

1. इस्पात संयंत्र में निर्माण संस्थानों की भूमिका
2. खनन गवेषण- पद्धति और तकनीक
3. लौह अयस्क गवेषण पद्धति और तकनीक
4. तल खनन पद्धतियां
5. तल-खनन यंत्र और उनका उपयोग
6. लौह-अयस्क का सज्जीकरण
7. लौह अयस्क संसाधन तकनीक
8. रिफ्रेक्ट्रीज एवं विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग
9. अभिकल्पन इंजीनियरी
10. औद्योगिक अर्थशास्त्र तथा आयोजनीकरण
11. औद्योगिक प्रबंध
12. कंप्यूटरीकृत खनन
13. कोक भट्टी का शिल्प-विज्ञान, उपजात और अनुरक्षण
14. धमन भट्टी का शिल्प-विज्ञान और अनुरक्षण
15. सिन्टरन प्रक्रिया और शिल्प विज्ञान
16. विभिन्न विधियों द्वारा इस्पात तैयार करने की प्रक्रिया
17. इस्पात के उत्पादन में उष्मसहों का योगदान
18. ब्लूमन या फुल्लिका और बिलेट मिल का शिल्प विज्ञान
19. बेलन मिल
20. इस्पात संयंत्र में प्रक्रिया एवं कोटि नियंत्रण
21. इस्पात संयंत्र में उत्पादन योजना और नियंत्रण



22. इस्पात संयंत्र का संधारण
23. इस्पात संयंत्र में प्रचालन अनुसंधान
24. इस्पात का विपणन
25. लोहा-पाइप बनाने की विभिन्न पद्धतियां
26. इस्पात उत्पादन में सुरक्षा
27. स्पंज आयरन
28. इस्पात बनाने की नयी विधियां
29. भारत का लोहा एवं इस्पात उद्योग
30. भारतीय इस्पात उद्योग के विकास में परामर्शदात्री संगठनों का योगदान
31. इस्पात संयंत्रों का भारतीय उद्योगों में योगदान
32. विकासशील देशों में इस्पात संयंत्र लगाने में भारत की औद्योगिक दक्षता
33. अवस्थापनाओं का अधियोजनीकरण
34. इस्पात परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक विश्लेषण
35. इस्पात परियोजनाओं में लागत नियंत्रण
36. इस्पात उद्योग में परियोजनाओं की मॉनिटरिंग
37. इस्पात उद्योग में प्रदूषण और इस पर नियंत्रण
38. इस्पात उद्योग में सह-उत्पाद रिकवरी
39. इस्पात संयंत्र में इनर्जी सेविंग
40. लौह एवं इस्पात उद्योग में व्यावसायिक बीमारियां और बचाव के उपाय
41. इस्पात उद्योग में कर्मचारी एवं प्रबंध प्रशिक्षण
42. इस्पात संयंत्र में अभियांत्रिकी एवं प्रबंध सेवाओं की भूमिका

## II पुरस्कारों की राशि

उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी में लिखी तीन मौलिक पुस्तकों के लेखकों को निम्नलिखित राशि के तीन वार्षिक पुरस्कार देने की व्यवस्था है:-

- (क) 25,000/- रूपए का प्रथम पुरस्कार
- (ख) 20,000/- रूपए का द्वितीय पुरस्कार
- (ग) 15,000/- रूपए का तृतीय पुरस्कार

यदि किसी वर्ष मूल कृतियों को पर्याप्त उच्चस्तर का नहीं पाया जाता है तो कोई भी अथवा सभी पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे ।

### III सामान्य नियम

1. इन पुरस्कारों के लिए 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तथा 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक लिखी गयी/ प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार की जाएंगी ।
2. पुरस्कार वर्ष के दौरान प्रस्तुत की गयी पुस्तकों/पाण्डुलिपियों का मूल्यांकन इस मंत्रालय में गठित की गयी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा ।
3. मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम और सभी प्रकार से मान्य होगा ।
4. विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक, पाण्डुलिपि के साथ लेखक द्वारा पूरी तरह से भरा हुआ तथा हस्ताक्षर किया हुआ प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए ।
5. प्रत्येक प्रविष्टि पत्र के साथ लेखक द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ घोषणा पत्र (अनुबंध-I) तथा जीवन-वृत्त (अनुबंध-II) भेजा जाए ।
6. इन पुरस्कारों के लिए प्रस्तुत की गयी पुस्तकों/पाण्डुलिपियों की प्रतियां वापिस नहीं की जाएंगी।
7. यदि पुरस्कार के लिए चुनी गयी पुस्तक, पाण्डुलिपि के एक से अधिक लेखक होंगे तो पुरस्कार की राशि सह-लेखकों में बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।
8. यदि कोई अप्रकाशित पुस्तक (हस्तलिपि) पुरस्कार के लिए चुनी जाती है तो लेखक (लेखकों) को पुरस्कार की आधी राशि प्रदान की जाएगी तथा पुरस्कार की शेष राशि का भुगतान लेखक द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा इन किन्हीं भी सरकारों से सहायता प्राप्त कर किसी भी संस्थान या संगठन से सहायता लिए बिना इस पुस्तक को प्रकाशित कराए जाने के बाद ही किया जाएगा ।

#### प्रविष्टि प्राप्त करने की अंतिम तारीख

सभी प्रकार से पूर्ण और निर्धारित प्रपत्र में प्रविष्टियां पुस्तकों/पाण्डुलिपियों की छः प्रतियों सहित इस मंत्रालय में 31 जनवरी, 2017 तक अथवा इससे पहले पहुंच जानी चाहिए ।

**प्रविष्टियां इस पते पर भेजी जाएं-**

**संयुक्त सचिव (श्री टी. श्रीनिवास)**

**इस्पात मंत्रालय**

**उद्योग भवन,**

**नई दिल्ली -110107**

इस्पात मंत्रालय के कार्य-क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी की मौलिक पुस्तकों पर  
पुरस्कार (वर्ष 2014-15 और 2015-16) योजना

घोषणा पत्र

मैं.....आयु.....वर्ष.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/श्री.....  
.....निवासी.....  
.....

एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:-

- (क) (पुस्तक/ पांडुलिपि का शीर्षक भरें)  
मेरी मूल कृति है और इसका कापीराइट मेरे पास है।
- (ख) यह पुस्तक मेरी अपनी कृति है ।
- (ग) उक्त पुस्तक/पाण्डुलिपि को भारत सरकार/राज्य सरकार/भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे किसी स्वायत्त संगठन द्वारा आयोजित किसी अन्य प्रतियोगिता अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रस्तुत नहीं किया गया है, यदि हां, तो कहां ?
- (घ) यह किसी पुस्तक का अनुवाद नहीं है ।
- (ङ.) यह कृति शासकीय हैसियत में या अपने शासकीय कार्य के अंग के रूप में हिन्दी में या किसी अन्य भाषा में नहीं लिखी गयी है ।
- (च) मेरे सगे-सम्बन्धी जो इस्पात मंत्रालय या उसके अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों में अधिकारी/कार्यपालक के रूप में पदस्थ हैं उनका ब्यौरा निम्न है:-
- (छ) मैं सत्य भाव से स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है ।

स्थान.....हस्ताक्षर.....

तारीख.....नाम और पता.....

जीवन-वृत्त

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
2. डाक का पता .....
3. जन्म तिथि .....
4. शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य .....

(विभिन्न वर्षों में उत्तीर्ण की गयी परीक्षाओं तथा किए गए अनुसंधान कार्य और अध्ययन के विषयों का यहां उल्लेख किया जाए)

5. अनुभव: (यहां कार्य अनुभव, सेवा और वर्तमान पेशे का ब्यौरा दें )

6. प्रकाशन (यहां पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों/प्रकाशनों का ब्यौरा दें )  
 शीर्षक भाषा प्रकाशन

7. श्रेष्ठता पुरस्कार (यहां लिखी गयी पाण्डुलिपियों/पुस्तकों के लिए प्राप्त हुए श्रेष्ठता पुरस्कारों का उल्लेख करें)

पुस्तक/पाण्डुलिपि का शीर्षक	पुरस्कार का नाम और वर्ष
.....	.....
.....	.....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

नाम और पता.....



भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय  
(राजभाषा प्रभाग)

\*\*\*

विषय: इस्पात मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना।

लौह तथा इस्पात उद्योग से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

प्रथम पुरस्कार	25,000 रूपए
द्वितीय पुरस्कार	20,000 रूपए
तृतीय पुरस्कार	15,000 रूपए

2. पुस्तक/पाण्डुलिपि का विषय इस्पात तथा इस्पात मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित होना चाहिए।
3. इसके अंतर्गत 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 और 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के दौरान प्रकाशित/लिखी गई पुस्तकों पर क्रमशः वर्ष 2014-2015 और 2015-16 के पुरस्कारों के लिए विचार किया जाएगा। इस हेतु पुस्तक/पाण्डुलिपि की छः प्रतियां विधिवत रूप से भरे हुए प्रपत्र सहित इस मंत्रालय को भेजनी होंगी। प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2016 है।
4. इस योजना का और अधिक ब्यौरा/प्रपत्र आदि प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति श्री शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110107 (दूरभाषः 23063263) से संपर्क/पत्र व्यवहार कर सकते हैं।
5. इस योजना तथा आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट ([www.steel.nic.in](http://www.steel.nic.in)) पर भी उपलब्ध है।



**Government of India**  
**Ministry of Steel**  
**(OL Division)**

**AWARD SCHEME FOR WRITING ORIGINAL BOOKS IN HINDI IN THE  
SUBJECTS COVERED UNDER PERVIEW OF THE MINISTRY OF STEEL**

With a view to encouraging writers to write original books in Hindi on the subject relating to Iron and Steel Industry, Ministry of Steel, Government of India have introduced an Award Scheme with the following prizes:

1 <sup>st</sup> prize	Rs. 25,000/-
2 <sup>nd</sup> prize	Rs. 20,000/-
3 <sup>rd</sup> prize	Rs. 15,000/-

2. The subject matter of the Book/Manuscript should relate to matters concerning Steel and being dealt with by the Ministry of Steel.
3. Books published/written during 1<sup>st</sup> April, 2014 to 31<sup>st</sup> March, 2015 and 1<sup>st</sup> April, 2015 to 31<sup>st</sup> March, 2016 under this scheme would be accepted for consideration for awards for the year 2014-2015 and 2015-16 respectively. Six copies of the Books/Manuscripts, along with duly filled in entry form are required to be sent to this Ministry. The last date for receipt of the entries is 31<sup>st</sup> January, 2017.
4. Interested persons may contact/write to Shri Shailesh Kumar Singh, Joint Director (O.L.), Ministry of Steel, Udyog Bhawan, New Delhi-110107 (Tel.No. 23063263) for further details/entry forms etc.
5. Details of the scheme and application form are also available on the website ([www.steel.nic.in](http://www.steel.nic.in)) of the Ministry of Steel.